न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारीः-- श्री मासिंगा राम, आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्याः– 135 / 2025

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
1. जगदीश पुत्र लखाराम जाति सीरवी निवासी नई ढाणी तह0 सोजत जिला पाली राजस्थान हाल निवासी 485, 2nd main 10th Cross, Srinidhi Layout Banagalore. 560062		1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत जिला पाली

राजस्व प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितिः–

1. श्री गजेन्द्र परिहार अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित
2. तहसीलदार सोजत स्वयं उपस्थित

–: **निर्णय** :– दिनांक –17/12/25

अधिवक्ता प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र विरुद्ध अप्रार्थी के पेश कर निवेदन किया कि सरहद मौजा सरदारसमंद, प0ह0 सरदारसमंद, भू.अ.नि. क्षेत्र शिवपुरा तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान में प्रार्थी एवं अन्य की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि सम्पति ए खाता सं0 164 ख0नं0 980 रकबा 2.6700 है0, सम्पति बी खाता सं0 201 ख0नं0 71 रकबा 1.1000 है0, सम्पति सी खाता सं0 265 ख0नं0 747, 763 कुल खसरा 02 कुल रकबा 7.6600 है0, इसी प्रकार सम्पति डी खाता सं0 433 ख0नं0 1054 / 1159 रकबा 0.7600 है0 की आयी हुई स्थित हैं। वादग्रस्त कृषि भूमि में प्रार्थी के पिता लखाराम पुत्र लुम्बाराम का देहान्त दिनांक 26.11.2021 को हो जाने से प्रार्थी के भाई वोराराम ने फौतेदगी म्यूटेशन भरते हेतु पटवारी हल्का सरदारसमंद से निवेदन किया तब पटवारी हल्का सरदारसमंद ने नामा0 सं0 1620 को भरते वक्त दस्तावेज की जांच नहीं कर प्रार्थी का नाम जगदीश के स्थान पर भूल एवं सेवन से जगदीश कुमार दर्ज कर दिया, जो राजस्व रेकर्ड में लगातार आज दिन तक दर्ज हैं। उक्त कृषि भूमि के अलावा प्रार्थी के नाम से ग्राम सरदारसमंद में खसरा नम्बर 70, 185, 186, 187, 189 में सही नाम जगदीश पुत्र लखाराम दर्जसुदा है। इसके अलावा प्रार्थी की कृषि भूमि ग्राम माण्डपुरिया, पटवार हल्का झीतड़ा, तहसील रोहट जिला पाली के खसरा नम्बर 201 में एवम् ग्राम इन्द्रोका की ढाणी तहसील रोहट जिला पाली खसरा नम्बर 300 में एवम् ग्राम नईढाणी तहसील सोजत जिला पाली में खसरा नम्बर 535, 536, 538, 206, 390 में प्रार्थी का सही नाम जगदीश पुत्र लखाराम दर्जसुदा है एवम् प्रार्थी के आधार कार्ड एवम् पैनकार्ड में भी प्रार्थी का सही नाम जगदीश पुत्र लखाराम दर्ज है। राजस्व कर्मचारीयो द्वारा पैन ऑफ मिस्टेक से प्रार्थी का नाम जगदीश पुत्र लखाराम के स्थान पर जगदीश कुमार पुत्र लखाराम त्रुटीवश राजस्व रेकर्ड में गलत इन्द्राज चला आ रहा है। प्रार्थी के अन्य तमाम दस्तावेजात वोटर आई.डी. कार्ड, आधार कार्ड, राशनकार्ड, बैंक डायरी व पैनकार्ड में तथा अन्य गाँवो में स्थित प्रार्थी के नाम की कृषि भूमि की राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी नकले प्राप्त की, जिसमें भी प्रार्थी का सही नाम

उप खण्ड अधिकारी
(जिला-पाली) राज

जगदीश पुत्र लखाराम दर्ज है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र के पद संख्या 1 में वर्णित वादग्रस्त कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम जगदीश कुमार पुत्र लखाराम के स्थान पर प्रार्थी का नाम जगदीश पुत्र लखाराम दुरूस्त कर राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करने का आदेश प्रदान किये जाने की ईश्तदुआ की हैं।

इस पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी को पर्याप्त अवसर के बावजूद जवाब प्रा0पत्र पेश नहीं करने से अवसर समाप्त कर जवाब प्रा0पत्र बंद किया गया।

वादग्रस्त कृषि भूमि के मौके व रेकर्ड की वस्तुस्थिति हेतु तहसीलदार सोजत को लिखा जाने पर तहसीलदार सोजत द्वारा अपने पत्रांक/रीडर/2025/1735 दिनांक 08.12.2025 के जरिये प्रस्तुत कर पटवारी हल्कानुसार राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम जगदीश कुमार पुत्र लखाराम दर्ज है, जबकि अन्य रेकर्ड में जगदीश पुत्र लखाराम दर्ज है, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0पत्र के अनुसार जगदीश कुमार पुत्र लखाराम के स्थान पर जगदीश पुत्र लखाराम किया जाना उचित है, की रिपोर्ट पेश की।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी एवं अप्रार्थी तहसीलदार सोजत सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम जगदीश कुमार के स्थान पर जगदीश दुरूस्त इन्द्राज किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। जवाब बहस में तहसीलदार सोजत द्वारा विधि सम्मत निर्णय पारित किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया हैं।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र, तहसीलदार सोजत की रिपोर्ट, अन्य दस्तावेजात का अवलोकन कर गहनता से अध्ययन किया गया। वस्तुतः तहसीलदार सोजत मय पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर वादग्रस्त कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम जगदीश कुमार के स्थान पर जगदीश किया जाना उचित होने की रिपोर्ट पेश की हैं। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेजी साक्ष्य ग्राम सरदारसमंद तह0 सोजत के खाता सं0 284, 285, 286 की जमाबंदी सम्वत् 2079–82, ग्राम माण्डपुरिया तह0 रोहट के खाता सं0 173 की जमाबंदी सम्वत् 2077–80, ग्राम इन्द्रोका की ढाणी तह0 रोहट के खाता सं0 173 की जमाबंदी सम्वत् 2077–80 इत्यादि में भी प्रार्थी का नाम जगदीश पुत्र लखाराम दर्ज हैं। अतः तहसीलदार सोजत की रिपोर्ट एवं अन्य दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर प्रार्थी का वास्तविक एवं दस्तावेजी नाम जगदीश कुमार के स्थान पर जगदीश होने की संपुष्टि होती हैं। लिहाजा प्रार्थी का उक्त प्रा0पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर वादग्रस्थ कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम जगदीश कुमार के स्थान पर जगदीश किया जाना उचित समझते हैं।

–: **आदेश** :–

अतः अधिवक्ता मय प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में प्रार्थी

उप खण्ड अधिकारी

का नाम जगदीश कुमार पुत्र लखाराम के स्थान पर सही व वास्तविक नाम जगदीश पुत्र लखाराम दुरूस्त इन्द्राज किये जाने के आदेश दिए जाते है। शेष खाता बदस्तुर रहे। तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। तहसीलदार सोजत को उक्त निर्णय की प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

यह निर्णय आज दिनांक 17/1/25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत